

उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादडी

क्रमांक ५/३ वरिष्ठ

128 RLA Act

142/18

8/6/18

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प माथेली खुद पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट का पेश हुआ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार बड़ीसादडी को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा माथेली खुद की खाता संख्या 66 की आ. नं. 244, 260, 218, 282, 283, 284, 429, 421, 432, 439, 795, 825, 833 रकबा 0.53, 1.51, 0.54, 0.13, 0.74, 0.75, 0.48, 0.43, 0.68, 0.31, 0.23, 0.25, 0.56, 0.11, 0.41 हे. भूमि का पक्षकारान की मौजुदगी में पत्थरगढ़ी की जावे। इसी आशय का हुक्मनामा जारी हो। कमीशनरी फीस रुपये 2500/- प्रार्थी से वसूल की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय लिखाया जाकर सरे आम सुनाया गया।



(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

RAS

पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
बड़ीसादडी (राज.)